न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06 / 2022

जीसीएमएस नं. :– 2022 / 112

सुनील कुमार पुत्र देवी लाल जाति स्वामी निवासी चक– 4 के.ए.एम खोखरावाली तहसील व जिला अनूपगढ़।

–– प्रार्थी

बनाम्

1. जानकी देवी पत्नी फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. देव कुमार पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. नेकीराम पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रताप सिंह पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. भागचन्द पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. मनीराम पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रेशमा पुत्री फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. लीलावती पत्नी रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. संजय पुत्र रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. सुभाषचन्द्र पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. सुमित्रा पुत्री रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी गांव झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. तुलछीदेवी पत्नी देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चक 3 के.ए.एम. तहसील व जिला अनूपगढ़।
13. लालचन्द पुत्र सुलतानराम जाति ब्राह्मण निवासी चक 3 के.ए.एम. तहसील व जिला अनूपगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अ[illegible]ा अनूपगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:40 IST
Reason: SelfAttested

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा[illegible] के राजकाश्त अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई सुखचौनसिंह के नाम से कृषि भूमि वाके चक–3 के.ए.एम

तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–1 ता 9 मे कुल 2.2770 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है । इसी चक के किला नं–10 ता 15 मे कुल 1.5180 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा अप्रार्थीगण सं–1 ता 11 के नाम से व किला नं–16 ता 20, 21/1, 22/2, 23/1, 24/2, 25/1 मे 2.4040 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा अप्रार्थीगण सं–12, 13 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि–प्रार्थी अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 की कृषि भूमि चक–3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–10, 11, 20, 21 मे से होकर अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करता है। अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 ने अपनी कृषि भूमि के किला नं–10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता अपनी सहमति से प्रार्थी को दे रखा है। प्रार्थी उक्त रास्ता से होता हुआ मुख्य सड़क से जुड़ता है तथा उक्त रास्ता काफी अरसा से मौका चल रहा है लेकिन रिकार्ड मे उक्त रास्ता मंजुर नही है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मे सरसो व गेहूं की फसल बिजांद कर रखी है तथा वर्तमान मे सरसो की फसल की कटाई का समय है। प्रार्थी की कृषि भूमि नही होने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 की कृषि भूमि चक–3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–10, 11, 20, 21 मे चल रहे रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अन्य कोई भी सुलभ व सुविधाजनक रास्ता नही है। अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 गत कुछ समय से छोटी–2 बातों को लेकर प्रार्थी के साथ विवाद रखने लग गऐ है तथा आऐ रोज रास्ते को लेकर मौका विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा प्रार्थी द्वारा मौका पर चल रहे रास्ता का उपयोग उपभोग करने मे हर समय व्यवधान पैदा करते रहते है तथा रास्ता को बंद करने की धमकी देते रहते है। दिनांक 7–4–2022 को प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे अपनी फसल संभालने के लिए जा रहा था तो मौका पर अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 ने आकर प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वह शीघ्र ही उक्त रास्ते को बंद कर देंगे । उससे जो होता है कर ले। बस यही वाद कारण है जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 के खिलाफ प्राप्त है।

अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 की कृषि भूमि चक–3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–10, 11, 20, 21 मे चल रहे उक्त वादग्रस्त रास्ता जो कि राजस्व रिकार्ड मे अकंन नही होने के कारण अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 विवाद उत्पन्न कर रहे है तथा अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 ने शीघ्र ही उक्त रास्ता बंद करने की ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 उक्त रास्ता को बंद कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। क्योंकि अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 द्वारा रास्ता बंद किए जाने से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि मे आना बंद हो जावेगा तथा सरसो की फसल जो कि पक कर तैयार है तथा कटाई पर है। यदि समय पर फसल की कटाई नही हुई तो फसल कटाई व सार संभाल के अभाव मे नष्ट हो जावेगा तथा कृषि भूमि से फसल बेचान हेतु धानमण्डी मे नही आ पाऐगा। इसलिए प्रार्थी उक्त वादग्रस्त रास्ता मंजुर करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं–1 ता 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:40 IST
Reason: Self Attested

की कृषि भूमि चक–3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता मंजुर करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। रास्ता मे आने वाली भूमि की ऐवज मे प्रार्थी अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 को डीएलसी रेट के अनुसार भूमि का मुल्य या भूमि की ऐवज मे भूमि देने को तैयार है। प्रार्थी दिनांक 07–4–2022 को अप्रार्थी सं–14 राजस्व तहसीलदार अनूपगढ से मिल कर पैरा सं–3 मे दर्ज रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार ने माननीय न्यायालय से रास्ता की स्वीकृति के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता का अंकन करने से इंकार कर दिया। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने बाबत पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक–3 के.ए. एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–1 ता 9 मे कुल 2.2770 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं–1 ता 13 की कृषि भूमि चक–3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–10 पत्थर सं–316/387 का किला नं–10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत किया जावे तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड मे करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक 3 केएएम के प.न. 316/387 मु.न. 10 की मौका जांच अनुसार इस मुरब्बा में कि.न. 21 ता 25 में गै.मु. रास्ता स्वीकृतशुदा मुताबिक रिकॉर्ड रास्ता है जो मौका पर चल रहा है। प्रार्थी अजमेर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह की संयुक्त खाते में उक्त मुरब्बा में कि.न. 1 ता 9/2.277 है. खातेदारी रकबा है। कि.न. 10 ता 15/1.518 है. रकबा जानकी पत्नी फूसाराम वगैरह व कि.न. 16 ता 25/2.404 है. रकबा तुलछीदेवी पत्नी देवीलाल वगैरह जाति ब्राह्मण के नाम से खातेदारी रकबा है।

प्रार्थी अजमेर सिंह कि.न. 10, 11, 20, 21 में से आने जाने हेतु रास्ता लेना चाहता है। कि.न. 21 में तुलछी देवी की ढ़ाणी बनी है लेकिन ढ़ाणी के पीछे लगभग 10 फीट चौड़ाई में रकबा खाली पड़ा है। कि.न. 21 में जहां से रास्ता लेना चाहता है वहां 5 छोटे नीम के पेड़ खड़े हैं जिनके पास से रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थी जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है वो मोका पर चालू नहीं है। प्रार्थी के आने जाने हेतु [illegible] चाहता है वह कि.न. 15,16,25 में से है क्योंकि कि.न. 15,16,25 में तीन किला [illegible] रास्ता पड़ता है जबकि कि.न. 10,11,20,21 में से चार किला दूर रास्ता पड़ता है। मौका पर उपस्थित तुलछी देवी भी कि.न. 10,11,20,21 में से रास्ता देने पर सहमत है। तुलछी देवी ने भी रिपोर्ट पर उपस्थित रहकर कि.न. 15,16,25 में से रास्ता देने पर असहमती जताई तथा कि.न. 10,11,20,21 में से रास्ता देने पर अपनी सहमती जताई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए कृषि भूमि चक-3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं-10 पत्थर सं-316/387 का किला नं-10, 11, 20, 21 में 2-2 बिस्वा रास्ता रास्ता चाहा गया है, परन्तु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार एवं नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की भूमि को जाने के लिये इसी मुरब्बा नं-10 पत्थर सं-316/387 का किला नं-15, 16, 25 में केवल तीन बीघा में से रास्ता नजदीक लगता है, जो प्रार्थी के आने जाने हेतु निकटतम एवं सुगमतापूर्ण व सुविधाजनक है। उक्त रास्ता प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। उक्त कि.नं. 15, 16, 25 में स्वीकृत मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक-3 के.ए.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं-10 पत्थर सं-316/387 का किला नं- 15, 16, 25 में से 2-2 बिस्वा** रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.**(सरकारी) **नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा-1 के अधीन संदेय प्रतिकर** (मुआवजे) **की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम** (2) **के अधीन राज्य सरकार** द्वारा **अवधारित की गयी दरों** (डी.एल.सी.दर) **के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें रास्ता में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **12.08.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.09.09 14:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़